कार्यालय – जिला एवं सेशन न्यायाधीश, राजसमन्द (राजस्थान)

क्रमांक :– 262 दिनांक :– 23/09/25

कार्यालय आदेश

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी विज्ञापन संख्या रा.उ.न्या.जो./परीक्षा प्रकोष्ठ/अधीनस्थ न्यायालय/आशुलिपिक/2025/936 दिनांक 18.01.2025, राजस्थान उच्च न्यायलय के पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/914 दिनांक 19.09.2025 एवं राजस्थान जिला न्यायालय मंत्रालयिक कर्मचारी संस्थापन नियम, 1986 (यथासंशोधित नियम) एवं इस संबंध में राज्य सरकार तथा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा जारी परिपत्रों के अधीन दो वर्ष के परीवीक्षाकाल पर **प्रथमतः छः माह** के लिये राजस्थान सिविल सेवायें (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम, 2017 में आशुलिपिक ग्रेड- तृतीय (हिन्दी) के पद पर अस्थायी तौर पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से छः माह/दो वर्ष की अवधि के लिये राज्य सरकार के परिपत्र संख्या **एफ.15(1)एफ.डी.(नियम)/2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार 23,700/– रुपये मासिक नियत** (फिक्स) पारिश्रमिक पर निम्नांकित अभ्यर्थीगण को नियुक्ति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है:–

S. No.	Name of Candidate	DOB	Merit No.	Roll No.	Gender	Original Category	Selected Category
1	KULDEEP	09.10.2001	54	57755	Male	OBC-NCL	GEN
2	HARSHIT JAIN	28.03.1999	58	62110	Male	EWS	GEN
3	RAJENDER	10.07.2000	105	55861	Male	SC	SC

1. सभी नियुक्तियॉ आशुलिपिक ग्रेड–तृतीय/द्वितीय की संयुक्त परीक्षा 2025 के संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन रिट याचिकाओं, भविष्य में होने वाली रिट याचिकाओं एवं विधिक कार्यवाही के निर्णायाधीन रहेंगी।
2. प्रथम छः माह की अवधि में कार्य व्यवहार संतोषप्रद नहीं होने पर किसी भी समय बिना पूर्व सूचना के नवनियुक्त अभ्यर्थी की सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
3. प्रथम छः माह में कार्य संतोषजनक पाये जाने पर परीवीक्षाकाल एक साथ या समुचित अन्तराल पर दो वर्ष तक बढाया जावेगा। पूरे परीवीक्षाकाल में कार्य एवं व्यवहार संतोषप्रद होने पर ही उपरोक्त वेतनमान (पे–मेट्रिक्स) में न्यूनतम देय वेतन नियत किया जावेगा।
4. अभ्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त प्रमाण पत्रों के संबंधित संस्थाओं के सत्यापन के अधीन अस्थाई नियुक्ति दी गई है। सत्यापन में कोई भी दस्तावेज या सूचना मिथ्या पाई गई तो बिना पूर्व सूचना के सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
5. पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत की गई सूचनायें या सत्यापन सही नहीं पाये जाने पर या उसके पूर्व का आचरण व व्यवहार प्रतिकूल पाये जाने पर बिना नोटिस दिये सेवायें समाप्त की जा सकेगी।
6. अभ्यर्थी द्वारा राज्य सरकार के वित्त विभाग के आदशों के अधीन चिकित्सा व्यय के पुनर्भरण के संबंध में राज्य सरकार/माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र लागू होंगे।
7. राज्य सरकार या माननीय उच्च न्यायालय के नियम/परिपत्र के अधीन पेंशन योजना लागू होगी।
8. इस आदेश की प्राप्ति के **7 कार्य दिवस** के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा अन्यथा यह माना जावेगा कि संबंधित अभ्यर्थी नियुक्ति का इच्छुक नहीं है एवं उस सूरत में उसकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
9. नवनियुक्त अभ्यर्थीगण पर राज्य सरकार एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा समय–समय पर जारी परिपत्र, सेवा नियम एवं आचरण नियम लागू होंगे।
10. अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 10 के तहत सेवा में योग्य होने का **सक्षम चिकित्सा अधिकारी** द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

23/09/2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द

क्रमांकः स्था0 / 2025 / 3357 - 3362 दिनांक :– 23.09.25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर को उनके पत्र क्रमांक G/I/A-4(i)(a)113/2024/914 दिनांक 19.09.2025 के क्रम में सूचनार्थ
2. प्रभारी अधिकारी (लेखा शाखा) जिला न्यायालय, राजसमन्द
3. श्री कुलदीप पुत्र श्री किशनलाल, नाईयों का बास, वार्ड नं–07, पीपाड़ शहर, जोधपुर (राज.) – 342601, मो. नं. 9785398277 Email – kuldeep7596soni@gmail.com
4. श्री हर्षित जैन पुत्र श्री मुकेश कुमार जैन, जैन टेक्सटाईल, आशा होटल के पास, बजरिया, सवाई माधोपुर (राज.) – 322001, मो. नं. 9549309227 Email – harshitjain3220@gmail.com
5. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री पप्पू राम, गांव 10 EEA, फरसेवाला बारानी, तहसील पदमपुर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)–335061, मो. नं. 6376584521 Email – rajenderparihar74@gmail.com
6. सिस्टम ऑफिसर, न्यायालय हाजा को संबंधित कार्मिक की ई–मेल आई.डी. पर प्रेषित करने एवं न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड़ किये जाने हेतु
7. कार्यालय प्रति

23/09/2025

जिला एवं सेशन न्यायाधीश
राजसमन्द